

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Income-tax)

CORRIGENDUM

New Delhi, dated the 13th November, 2014

S.O. (E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O.2754(E) dated the 22nd October, 2014 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 22nd October, 2014, in the Schedule,

- (i) in column (2) the words "Commissioner of Income-tax (Exemption)" wherever appearing is to be read as "Commissioner of Income-tax (Exemptions)";
- (ii) against serial number 6 in the entry under of column (2), the words and figures "Delhi-2" is to be read as "Delhi";
- (iii) against serial number 10 in the entry under column (5), after the words "serial numbers 158 to 181", the words "and 112 to 116" is inserted ;
- (iv) against serial number 14 in the entry under column (5), the number "241" is to be read as "250";
- (v) against serial number 14 in the entry under of column (4), the words "Mumbai and Navi Mumbai" are to be read as "area covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation".

[Notification No. 65/2014. F. No. 187/38/2014 (ITA.I)]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

MS-~~lelele~~
14/11/14

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-II खंड, 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 13 नवम्बर, 2014

का.आ. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या क.अ. 2754 (दिनांक 22 अक्टूबर, 2014, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड, 3, उपखंड (ii) में दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में-

- (i) कॉलम (2) में जहां-जहां "आयकर आयुक्त (छूट)" शब्द आए हों वहां-वहां इनके स्थान पर "आयकर आयुक्त (छूटें)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) कॉलम (2) के अंतर्गत दी गई प्रविष्टि में क्रम संख्या 6 के समक्ष, शब्द "दिल्ली-2" के स्थान पर शब्द "दिल्ली" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) कॉलम (5) में दी गई प्रविष्टि में क्रम संख्या 10 के समक्ष, शब्द "क्रम संख्या 158 से 181" के पश्चात शब्द "और 112 से 116" अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) कॉलम (5) के अंतर्गत दी गई प्रविष्टि के क्रम संख्या 14 के समक्ष, संख्या "241" को "250" पढ़ा जाए;
- (v) कॉलम (4) के अंतर्गत दी गई प्रविष्टि में क्रम सं.14 के समक्ष शब्द "मुम्बई और नवी मुंबई" को "बृहन्मुंबई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और नवी मुंबई नगर निगम" के रूप में पढ़ा जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 65/2014.फा.सं.187/38/2014(आईटीए.1)]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्राणालय

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र (निकट राजौरी गार्डन),

नई दिल्ली ।